पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश

अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल – 462004

फोन नं 0755 – 2557727 फैक्स नं. 0755 – 2552899 ई–मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा/बजट/2015/ 15799 भोपाल, दिनांक 31 /10/2015

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला/जनपद पंचायत–समस्त, म.प्र.

2. प्राचार्य,
   पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र,
   मुलताई(बैतूल)/शिवपुरी/नौगांव(छतरपुर)/राऊ(इन्दौर)
   म.प्र.

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित बजट अनुमान तैयार किये जाने बाबत् ।

– 00 –

विषयान्तर्गत लेख हैं कि वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित बजट अनुमान प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को वित्त विभाग व्दारा तैयार किये गये नवीन साफ्टवेयर वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) में तैयार किया जाना हैं, इस हेतु इस वर्ष मुद्रा साफ्टवेयर का वितरण नहीं किया गया हैं। नये साफ्टवेयर वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) के उपयोग करने लॉगिन–पासवर्ड संबंधित कोषालय अधिकारियों के माध्यम से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वितरित किये जा चुके हैं तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु बजट का निर्माण नवीन (IFMIS) एप्लीकेशन के माध्यम से बजट मॉडयूल में बजट की एन्ट्री कर दिनांक 26.10.2015 तक अपने संबंधित बी0सी0ओ0 को अनिवार्यतः भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पंचायत राज संचालनालय के अधिनस्थ किसी भी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की बजट एन्ट्री बी0सी0ओ0 स्तर पर नवीन साफ्टवेयर वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) में दृष्टीगत नहीं हुयी हैं, जिसके कारण बी0सी0ओ0स्तर पर संकलन के आधार पर विभाग का बजट तैयार करने में असुविधा हो रही हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता हैं कि तत्काल नवीन साफ्टवेयर वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) में पंचायत राज संचालनालय से संबंधित समस्त योजनाओं की बजट एन्ट्री में किया जाना सुनिश्चित करे। ताकि विभाग का बजट तैयार किया जा सके।

नवीन साफ्टवेयर वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) पर कार्य करने हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार ही बजट प्रस्ताव तैयार किया जावें। नवीन साफ्टवेयर के उपयोग करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश साफ्टवेयर पर उपलब्ध हैं तथा उक्त संबंध में वित्त विभाग/आयुक्त कोष एवं लेखा व्दारा जारी निर्देशों की छायांप्रतियॉ भी संलग्न हैं।

निरंतर....

बजट प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नांकित निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाना सुनिश्चित करे :—

1. राजस्व एवं अन्य प्राप्तियां/वसूलियॉ यदि हो तो उसके बजट अनुमान वर्ष 2016—17 में साफ्टवेयर में एन्ट्री करें।
2. साफ्टवेयर विभिन्न योजनान्तर्गत स्थापना/मजदूरी/कार्यालय/अन्य व्यय के अन्तर्गत विभिन्न उप शीर्ष की बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2016—17 सही गणना एवं पूर्वानुमान लगाकर ही साफ्टवेयर में एन्ट्री करें। उसी को आधार मानकार आपको अगले वित्तीय वर्ष में आवंटन जारी किया जावेगा। यदि वर्ष में आवंटन की कमी होती है, तो उसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. साफ्टवेयर में जो भी बजट आपके व्दारा एन्ट्री किया जाएगा, उसकी हार्डकॉपी, स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी की हार्डकॉपी प्रस्तुत करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/2015/ 15800 भोपाल, दिनांक 31 /10/2015

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी मुख्यालय पंचायत राज की ओर प्रेषित कर लेख है कि निर्देशानुसार मुख्यालय का बजट तैयार कर बजट शाखा को उपलब्ध करावें।
4. निज सहायक, आयुक्त पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश